



उपायुक्त का कार्यालय, लातेहार।

(जिला विकास शाखा)

अति अल्पकालिन निविदा सूचना

प्रखंड कार्यालय का सुदृढीकरण हेतु लातेहार जिला के मनिका प्रखंड के लिये मशीनरी एवं उपकरण तथा आपूर्ति एवं सामग्री के लिये आवश्यक मशीनरी/उपकरण/सामग्री का क्रय किया जाना है। इस निमित्त इच्छुक आपूर्तिकर्ता से सीलबंद निविदा आमंत्रित किया जाता है।

- निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय :- 18.01.2016, 2:00 बजे अपराह्न तक।
- निविदा जमा करने का स्थान :- जिला विकास शाखा, लातेहार
- निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- 18.01.2016, 2:30 बजे अपराह्न से।
- निविदा खोलने का स्थान :- उप विकास आयुक्त के कार्यालय वैश्व में।

A. मशीनरी एवं उपकरण

क्र०सं०	मशीन एवं उपकरण का नाम एवं विवरणी	संख्या	सुरक्षित राशि
1	2	3	4
01	कम्प्युटर प्रिंटर सहित (Computer- All in one Intel core i3, 3310 CPU@3.30 GHz 2.44 4GB RAM with flat screen monitor, Printer- Laser printer with duplex printing)	03	10,000.00(दस हजार)
02	स्कैनर (Clour scanner with high pixel density & A4 size or above scan capacity)	02	
03	इन्वर्टर (2.2 KVA, up to 2-3 hours backup, low maintenance and suitable for office)	03	
04	फोटोकॉपीयर (up to 20 page/min with duplex copy up to A4 and above paper size and clear output)	02	
05	ग्रीन साईलेंट जेनरेटर-10KVA	01	

B. आपूर्ति एवं सामग्री

क्र०सं०	सामग्री का नाम	संख्या	सुरक्षित राशि
1	2	3	4
01	स्मॉल साईज बुक सेल्फ (ग्लास एवं लॉक सहित)	10	10,000.00(दस हजार)
02	कूलर (कार्यालय उपयोग के लिये)	05	
03	अलमीरा-बड़ा साईज(कार्यालय उपयोग के लिये)	20	
04	रिभोलविंग चेर(छोटा)	05	
05	टेबल शीशा	05	
06	कार्यालय कक्ष पार्टिशन (एलमुनियम फ्रेम के साथ)	60'x5'=1	
07	कम्प्युटर कक्ष पार्टिशन (एलमुनियम फ्रेम के साथ)	60'x5'=1	
08	A4-पेपर	200 पॉकेट	
09	कम्प्युटर टेबल	04	
10	रैक	10	
11	टेबल-स्टैंडर्ड साईज (कार्यालय उपयोग के लिये)	10	
12	DF पेपर	10	
13	दरवाजा खिड़की का पर्दा	300 मीटर	

नोट:- निविदा को www.latehar.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

अन्य शर्त:-

- निविदादाता/आपूर्तिकर्ता के द्वारा पैकेजवार(A&B) अलग-अलग लिफाफा में Technical Bid एवं Financial Bid समर्पित किया जायेगा जिसमें पैकेजवार पैकेज के नाम के समक्ष स्तंभ-04 में अंकित राशि सुरक्षित जमा राशि के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो उप विकास आयुक्त, लातेहार के नाम भुगतये होगा। Technical Bid खोलने के उपरान्त सभी कागजात सही पाये जाने की स्थिति में ही संबंधित निविदादाता का Financial Bid खोला जायेगा।

2. निविदादाता के द्वारा समर्पित निविदा के आधार पर उप विकास आयुक्त, लातेहार के अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय निविदा निष्पादन समिति के द्वारा निविदा का निष्पादन किया जायेगा।
3. निविदादाता को सामग्री/मशीनरी/उपकरण आपूर्ति के क्षेत्र में कम से कम 02 वर्षों का अनुभव होने का प्रमाण-पत्र समर्पित करना होगा।
4. निविदादाता को अपने प्रतिष्ठान के लिए विगत तीन वर्षों का (i) Income Tax Return (ii) Audit Report (iii) Commercial & Sale tax का स्वच्छता प्रमाण-पत्र समर्पित करना होगा।
5. निविदादाता को क्रम सं० A. मशीनरी एवं उपकरण के लिये आपूर्तिकर्ता को संबंधित मशीनरी एवं उपकरण का अधिकृत आपूर्तिकर्ता होने पर प्राथमिकता प्रदान किया जायेगा।
6. निविदादाता को क्रम सं० B. आपूर्ति एवं सामग्री का क्र०सं०-6 तथा 7 के लिये प्रति वर्ग फीट तथा क्र०सं०-13 के लिये प्रति मीटर दर अंकित करना होगा।
7. निविदादाताओं को नोटरी पब्लिक से निर्गत शपथ पत्र समर्पित करना होगा जिसमें निविदादाता के द्वारा यह स्पष्ट किया जायेगा कि निविदा प्रकाशन की तिथि तक उनके प्रतिष्ठान को किसी स्तर से काली सूची में नहीं डाला गया है।
8. निविदादाता को निविदा खोलने के समय जिलास्तरीय निविदा निष्पादन समिति के समक्ष स्वयं या उनके प्रतिनिधि को उपस्थित सामग्रियों का नमूना/कैटलॉग प्रदर्शित करना होगा।
9. आपूर्तिकर्ता को सामग्रियों की आपूर्ति करने के लिए किसी भी प्रकार का अग्रिम का भुगतान नहीं किया जायेगा।
10. सामग्रियों के दर में सभी प्रकार के कर यथा JST, CST एवं परिवहन व्यय आदि सम्मिलित कर ही न्यूनतम मूल्य अंकित करना होगा। अलग से किसी प्रकार का Tax /राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा। उपरोक्त सभी सामग्री/उपकरण की आपूर्ति/अधिष्ठापन मनिफा प्रखंड में की जायेगी एवं किसी भी प्रकार का हथालन शुल्क अलग से देय नहीं होगा।
11. सफल निविदादाता आदेश प्राप्ति के पश्चात् एक सप्ताह के अन्दर स्वीकृत सम्पूर्ण सामग्रियों की आपूर्ति करेंगे।
12. आवश्यकतानुसार सामग्रियों का क्रय हेतु आदेश दिया जायेगा। आपूर्ति किए जाने वाली सामग्रियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।
13. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी एवं बिना कारण बताए सभी निविदाओं या किसी निविदा विशेष को रद्द करने का अधिकारी अद्योहस्ताक्षरी अथवा क्रय समिति के पास सुरक्षित रहेगा जिसके विरुद्ध किसी भी न्यायलय में वाद दायर नहीं किया जा सकता है।

२०/-

उप विकास आयुक्त,
लातेहार।

- ज्ञापांक :- ०२ / जि०वि० दिनांक :- 6.1.16
- प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त निविदा सूचना को दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि उक्त सूचना को जिला के वेबसाइट www.latehar.nic.in पर upload करना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि:- निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व-नियोजन, डी०आर०डी०ए०, लातेहार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२०/१/२०१६
उप विकास आयुक्त,
लातेहार।

२०/१/२०१६